प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला. चौकी एसीबी, भीलवाडा– द्वितीय, थाना. सीपीएस, एसीबी, जयपुर वर्ष – 2022

प्र. ई. रि. स. ......57/22...... दिनांक ......23/02/2022......

(अ) अधिनियम. भ्र. नि. अधिनियम धाराये :– 7 पी.सी. एक्ट 2018 (संशोधित)

(ब) अधिनियम.............. .... धारायें ....

(स) अधिनियम ....धारायें...

(द) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या ......495...... समय......5:50PM......

(ब) अपराध घटने का दिन–दिनांक :– शुक्रवार दिनांक 07.01.2022 समय 11.50 ए.एम.

(स) थाना/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 06.01.2022 समय. 02:30 पी.एम.

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित

5. घटनास्थल :–

(अ) पुलिस चौकी से दिशा व दूरी – उत्तर–पूर्व बफासला करीब 60 कि.मी.

(ब) पता – ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला–भीलवाडा

बीट संख्या ....जरायमदेही सं...

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना...जिला...

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–

(अ) नाम – श्री सांवरा लाल मीणा

(ब) पिता का नाम.... श्री सुगना मीणा

(स) जन्म तिथि /वर्ष 30 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता......... भारतीय

(य) पासपोर्ट सख्या ....जारी होने की तिथी..

जारी होने की जगह..

(र) व्यवसायः– व्यापार

(ल) पता– निवासी ग्राम – गुरू जी का खेडा, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

श्री घनश्याम लाल खटीक पुत्र श्री देवबक्ष खटीक उम्र 59 साल निवासी सन्तोष नगर, पुलिस थाना जहाजपुर जिला भीलवाडा हाल ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :– कोई नही ...
चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

9. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य .... पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या
(अगर हो तो)

10. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट – (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)

सेवा में,

श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा
कृषि उपज मंडी

विषयः– कानूनी कार्यवाही करने बाबत्।
महोदय जी,

निवेदन है कि मैं सांवरा लाल पिता सुगना जी मीणा, निवासी गुरू जी का खेडा, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा का निवासी हूँ, मैंने मेरे, मेरी पत्नी श्रीमति सीमा देवी, मेरी मॉ श्रीमति मनभरी देवी के नाम से हमारे गॉव मे स्थित पुस्तैनी मकान के पट्टे बनाने के लिये ग्राम पंचायत डाबला चांदा में आवेदन किया था। मैंने दिनांक 02.10.2021 को हम तीनो के पुस्तैनी मकान के पट्टे का आवेदन शुल्क 120 रूपये प्रति पट्टे के हिसाब से कुल 360 रूपये ग्राम पंचायत मैं जमा करा कर रसीदे प्राप्त कर ली थी। मैं दिनांक 04.01.2022 को मैं मेरे व मेरी पत्नी व मेरी मां के नाम से पुस्तैनी पट्टो की जानकारी के लिये सचिव साहब श्री घनश्याम जी से मिला तो उन्होने मेरे से कहा कि तू तीनो पट्टो के कुल 4000 रूपये लेकर आ जाना जो तेरे को पट्टे तैयार करके दे दूंगा। मैं सचिव साहब को 4000 रूपये मेरे तीनो पुस्तैनी पट्टे जारी करने की एवज में रिश्वत 4000 रूपये नही देना चाहता हूँ, और उन्हे रंगे हाथो पकडवाना चाहता हूँ, मेरी सचिव साहब से कोई रूपयो का आपसी लेन देन नही है, और ना ही कोई आपसी रंजिश है। ट्रैप की कार्यवाही करवाने के लिये मैने मेरी मां व मेरी पत्नी को सारी बात बताकर उनसे मौखिक सहमति ले ली है।

रिपोर्ट करता हूँ कार्यवाही करें।

दिनांक :– 06.01.2022

प्रार्थी

एसडी सांवरा लाल
सांवरा लाल पिता सुगना जी मीणा, निवासी
गुरू जी का खेडा, ग्राम पंचायत डाबला चांदा,
पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा
मो.न. 63787–14029

श्री शिव प्रकाश
(पु.उ.अ.)
विधिक कार्यवाही करावें।
एसडी ब्रजराज सिंह
एसडी देवेन्द्र कुमार चौधरी 27/1/2022
एस डी सोनू माली 27/1/22 .

कार्यवाही पुलिस भ्रनिब्यूरो भीलवाडा द्वितीय

दिनांक 06.01.2022 समय 02.30 पी.एम पर मन् पुलिस उप अधीक्षक शिवप्रकाश को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्री ब्रजराज सिंह भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाडा–द्वितीय ने परिवादी श्री सांवरा लाल पिता सुगना जी मीणा, निवासी गुरू जी का खेडा, ग्राम पंचायत डाबला चांदा, पंचायत समिति शाहपुरा, जिला भीलवाडा द्वारा पेश शुदा टाईपशुदा रिपोर्ट मुझ पुलिस उप अधीक्षक को उनके कक्ष में बुलाकर आवश्यक कार्यवाही का पृष्ठाकंन कर मुझ पुलिस उप अधीक्षक को मय परिवादी के सुपूर्द की। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने परिवादी श्री सांवरा लाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को पढ़कर परिवादी को सुनाई गई तो परिवादी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों का